

/548983/2024

5

672

संख्या- ~~14~~/एक-10-2024/33(04)24

प्रेषक,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी,

अनु सचिव,

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,

उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण,

लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 26/04/2024

विषय:- आपदाओं से बचाव हेतु जन मानस को जागरूक करने हेतु प्रदेश के समस्त 58189 ग्राम पंचायतों में कुल 8 प्रकार की आपदाओं के 8 सनबोर्ड-विनायल बोर्ड लगाये जाने हेतु रु० 27,46,52,000/- की वित्तीय स्वीकृति के सम्वन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या -14/रा०आ०प्र०पा०/2024-25 दिनांक 04.04.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपदाओं से बचाव हेतु जन मानस को जागरूक करने हेतु प्रदेश के समस्त 58189 ग्राम पंचायतों में कुल 8 प्रकार की आपदाओं के 8 सनबोर्ड-विनायल बोर्ड लगाये जाने हेतु रु० 27,46,52,000/- का आवंटन राज्य आपदा मोचक निधि के क्षमता निर्माण मद से किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-179/1-10-2024/33(04)/24, दिनांक 29.01.2024 द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश के समस्त 58189 ग्राम पंचायत भवनों में 08 प्रकार की आपदाओं (सर्पदंश, डूबने के कारण, वज्रपात, अतिवृष्टि, नाव दुर्घटना, मानव वन्य जीव द्वन्द, शीतलहर, हीटवेव) से बचाव हेतु क्या करें क्या न करें से संबंधित 08 प्रकार के सनबोर्ड-विनायल बोर्ड लगवाये जाने हेतु रु० 274652000/- की धनराशि स्वीकृत की गयी थी परन्तु विगत वित्तीय वर्ष में उपरोक्त कार्य प्रारम्भ हो जाने एवं भुगतान के पूर्व ही वित्तीय वर्ष की समाप्ति के दृष्टिगत धनराशि का भुगतान/उपयोग न हो पाने के कारण उक्त धनराशि को प्राधिकरण के पत्र दिनांक 21.03.2024 द्वारा समर्पित कर दिया गया है।

3- इस सम्वन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के समस्त 58189 ग्राम पंचायत भवनों में 08 प्रकार की आपदाओं (सर्पदंश, डूबने के कारण, वज्रपात, अतिवृष्टि, नाव दुर्घटना, मानव वन्य जीव द्वन्द, शीतलहर हीटवेव) से बचाव हेतु क्या करें क्या न करें से संबंधित 08 प्रकार के सनबोर्ड-विनायल बोर्ड लगवाये जाने हेतु उक्त शासनादेश दिनांक 29-01-2024 में उल्लिखित विवरण/व्यय विवरण के अनुसार एवं निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रु० 27,46,52,000/- की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

नियम व शर्त/ प्रतिबंध

1. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मॉडल कोड ऑफ कन्डक्ट के सम्वन्ध में निर्गत पत्र संख्या- 437/6 INST/ECI/FUNCT/MCC/2024(MCC ENFORCEMENT) दिनांक 02 जनवरी, 2024 एवं अन्य निर्गत शासनादेशों द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किया गया है। उक्त निर्गत मॉडल कोड ऑफ कन्डक्ट में रिलीफ

- मेजर के सम्बन्ध में जो भी विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किया गया है, उक्त दिशा निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- 2 - अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष सम्पन्न कराए जाने वाला कार्य नियमानुसार कराया जायेगा तथा उक्त कार्य ई-टेंडरिंग/जेम पोर्टल के माध्यम से खुली निविदा के माध्यम से वेन्डर का चयन कर प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।
3. स्वीकृति धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका /बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।
4. राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि का उपयोग भारत सरकार की गाइडलाइन दिनांक 12.01.2022 एवं 22.04.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।
5. समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2025 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2025 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
6. जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा।
7. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड -5, भाग-1 के प्रस्तर 369 एचके अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।
8. व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
9. ई-टेंडरिंग/जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय के सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
10. 30प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारियों एवं पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित करते हुए प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों में उक्त विनाइल बोर्ड लगाया जायेगा। पंचायती राज विभाग सम्बन्धित ग्राम पंचायत के माध्यम से लगाये गये विनायल बोर्ड का रख रखाव करते हुए उसके माध्यम से आम जन मानस को जागरूक करने का अभियान भी समय-समय पर चलाते हुए आपदाओं के प्रति आम जनमानस को जागरूक किया जायेगा। ताकि सेनडई फ्रेमवर्क के अन्तर्गत दिये गये दिशा-निर्देश के अनुसार वर्ष 2030 तक जनहानि को न्यूनतम किये जाने की कड़ी में प्रचार-प्रसार का यह माध्यम लाभ दायक साबित हो।
- 4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रुपये रू0 27,46,52,000/- (रुपये सताईस करोड छियालीस लाख बावन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245- 05-800-0611 से राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फण्ड से सामान्य व्यय मानक मद-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।
- 5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शैलेन्द्र सिंह) Signed by
अनुसूचित जाति विभागी
अनुसूचित जाति विभागी

Date: 26-04-2024 16:24:07

Reason: Approved

संख्या:-14(1)/एक-10-2024 तहनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, 30प्र0, प्रयागराज

- 2- स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, 30प्र0 शासन
- 3- अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, 30प्र0 शासन।
- 4- राहत आयुक्त, 30प्र0, लखनऊ।
- 5- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, 30प्र0, लखनऊ।
- 6- समस्त मण्डलायुक्त /समस्त जिलाधिकारी, उत्तर, प्रदेश द्वारा 30प्र0 राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण।
- 7- निदेशक, पंचायती राज, 30प्र0, लखनऊ।
- 8- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, 30प्र0 शासन।
- 9- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, 30प्र0
- 10- समस्त कोषाधिकारी, 30प्र0
- 11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
- 12- गाई फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-02/05/2024

प्रेषण संख्या:- 672
आवंटन आदेश संख्या:- 001-672
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-6019-up state disaster management authority , lucknow-01-a	वर्तमान प्रगामी	274652000 291766162	274652000 291766162
	योग	वर्तमान प्रगामी	274652000 291766162	274652000 291766162

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया सत्ताइस करोड़ छियालीस लाख बावन हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया उन्तीस करोड़ सत्रह लाख छियासठ हजार एक सौ बासठ

(रजनी कान्त वर्मा)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त संगठन
उ०प्र० शासन